> प्रमाणित प्रतिलिपि वाद सं० 047/2012 दि० 30/11/2012 धारा 143

न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ

वाद सं० 047/2012 धारा – 143 ज०वि०अधिनियम

मौजा – स्याल परगना मेरठ तहसील व जिला मेरठ

सुलतान आलम बनाम सरकार

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी सुलतान आलम पुत्र श्री महफूल आलम – ग्राम गोकुलपुर, तहसील व जिला मेरठ सचिव रोबिन एजूकेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, ग्राम गोकुलपुर, तहसील व जिला मेरठ ने उपरोक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा है कि भूमि मे खसरा संख्या 443, 444 व 445 क्षेत्रफल 0.679 हैक्टेयर स्थित ग्राम स्याल, तहसील मेरठ जिला मेरठ (उ0प्र0) मे है उक्त भूमि मे कोई कृषि कार्य कुक्कुट पालन मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नही हो रहा है। बल्कि भूमि अकृषक भूमि के रूप मे प्रयोग की जा रही है। प्रार्थी ने विवादित भूमि खसरा संख्या 443, 444 व 445 क्षेत्रफल 0.679 हैक्टेयर को अकृषक भूमि घोषित किये जाने एवं अभिलेखों मे अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित गाटा से सम्बन्धित उद्धरण खतौनी भी दाखिल की है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे तहसीलदार मेरठ से जाँच करायी गयी। तहसीलदार मेरठ ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 16–11–2012 मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौजा भगीपुर, की खसरा संख्या 443, 444 व 445 क्षेत्रफल 0.679 हैक्टेयर लगानी 06–00 रुपया मे वर्तमान मे कोई कृषि कार्य बागवानी कुक्कुट पालन मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है। बल्कि भूमि अकृषक भूमि के रूप मे प्रयोग की जा रही है। इस प्रकार तहसीलदार मेरठ ने विवादित भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी है। आख्या के साथ विवादित गाटा से सम्बन्धित खसरा नक्शा नजरी एवं फोटो चित्र भी दाखिल किये है।

आख्या प्राप्त होने पर गांव सभा को सूचना दी गयी सूचना उपरान्त श्रीमती रानी प्रधान भगीपुर, सकौटी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर स्वयं का कथन अंकित कराया जिसमे उन्होने विवादित भूमि मे मौके पर कोई कार्य न होने तथा भूमि अकृषक भूमि के रूप मे प्रयोग किये जाने का कथन स्वीकार किया है। यह भी तथ्य स्वीकार किया है कि अकृषक भूमि घोषित होने मे गांवसभा को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वयं का कथन अंकित कराया जिसमे उन्होने भूमि मे विद्यालय के प्रयोजन हेतु होने का कथन स्वीकार किया यह भी कथन स्वीकार किया है कि विवादित भूमि से सम्बन्धित किसी...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sultan
Date: 2023.05.05 11:19:01

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार / अहलमद

में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। तहसीलदार मेरठ ने भी अकृषक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मैंने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया तथा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि उक्त भूमि में मौके पर कोई कृषि कार्य कुक्कुट पालन मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है। तथा भूमि विद्यालय के प्रयोजनार्थ ही प्रयोग में लायी जा रही है अन्य किसी प्रयोग में नहीं विवादित भूमि से सम्बन्धित किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। विवादित भूमि को अकृषक भूमि घोषित होने में गांवसभा/अन्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार मेरठ ने भी उक्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार मेरठ की आख्या दिनांक 16–11–2012 स्वीकार के योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मेरठ की आख्या दिनांक 16–11–2012 स्वीकार की जाती है तथा उक्त आख्या के आधार पर प्रार्थी का अकृषक भूमि घोषित विषयक प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा मनीपुर, सकौति तह0 मेरठ की भूमि की खसरा संख्या 443, 444 व 445 क्षेत्रफल 0.879 हैक्टेयर लगानी 08–00 रुपया को कृषि की प्रति अमल दरामद हेतु तहसीलदार मेरठ को भेजी जाय तथा एक प्रति अनुपालन हेतु उपनिबन्धक मेरठ को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक: [illegible]/11/2012

उपजिलाधिकारी
मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

पेशकार/[illegible]

Signature Not Verified